सारण समाहरणालय, छपरा

(जिला राजस्व शाखा)

सैरात बन्दोबस्ती हेतु आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित विवरण के सैरातों की बन्दोबस्ती वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए दिनांक 23.03.2021 को पूर्वाहन 11:00 बजे से अपर समाहर्त्ता, सारण, छपरा के कार्यालय प्रकोष्ठ में खुले डाक के माध्यम से निम्न शर्तो के अन्तर्गत किया जायेगा। किसी कारणवश निर्धारित तिथि को अंकित सैरातों की डाक नही होने की स्थिति में उक्त सैरात की बन्दोबस्ती पुनः दिनांक 25.03.2021 एवं दिनांक 27.03.2021 को उपर्युक्त निर्धारित स्थान एवं समय पर किया जायेगा।

क्रमांक	अनुमण्डल का नाम	अंचल का नाम	सैरात का नाम	सुरक्षित जमा की राशि/आयुक्त महोदय को अनुशंसित राशि
1	2	3	4	5
1	सदर अनुमण्डल, छपरा	1. जलालपुर	1. जलालपुर बाजार	6,01,450.00
		2. नगरा	2. कादीपुर, नगरा बाजार	17,29,600.00
2	मढ़ौरा अनुमण्डल	1. इसुआपुर	1. इसुआपुर बाजार	6,15,250.00
3	सोनपुर अनुमण्डल	1. सोनपुर	1. दुधैला बाजार	7,39,450.00

1. डाक में भाग लेनेवाले इच्छुक व्यक्ति निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर डाक में भाग ले सकते है। डाक प्रारम्भ होने के पूर्व सुरक्षित जमा राशि का 10% प्रतिशत राशि अग्रधन के रुप में जामा करना होगा।
2. डाक वक्ताओं को डाक में भाग लेने के समय अपने संबंधित अंचल अधिकारी से पूर्व वर्षो के बकाया रहित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. डाक की समाप्ति के पश्चात सफल डाकवक्ता को डाक की सम्पूर्ण राशि एकमुश्त जमा करना होगा।
4. सफल डाकवक्ता को नियमानुसार निबंधन शुल्क एवं स्टाम्प शुल्क एकमुश्त जमा करना होगा।
5. सफल डाकवक्ता को निर्धारित दर पर ही टॉल की वसूली करनी होगी।
6. डाकवक्ता को आचरण प्रमाण-पत्र एवं पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. बन्दोबस्ती की कार्रवाई आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के सुरक्षित जमा राशि निर्धारण की सक्षम स्वीकृति की प्रत्याशा में की जा रही है।
8. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी समय बिना कोई कारण बताये बंदोबस्ती रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

ह0/-
समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक-...607.../रा0,दिनांक-....16/03/2021....

प्रतिलिपि : सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, सारण जिला/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सारण जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि आम सूचना की प्रति सभी संबंधित को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करते हुए जिला के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : जिला सहकारिता पदाधिकारी/जिला मतस्य पदाधिकारी, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी अंचल अधिकारियों को आम सूचना की पांच-पांच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि आम सूचना की प्रति पूर्व बन्दोबस्तदार को तामिला कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही, संबंधित अंचल अधिकारी को यह भी निदेश दिया जाता है कि डाक की निर्धारित तिथि को अपने नाजिर को नाजिर रसीद बुक के साथ प्रतिनियुक्ति काना सुनिश्चित करेंगे, ताकि बन्दोबस्ती राशि, स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क जमा कराया जा सके।

समाहर्त्ता,
सारण, छपरा।